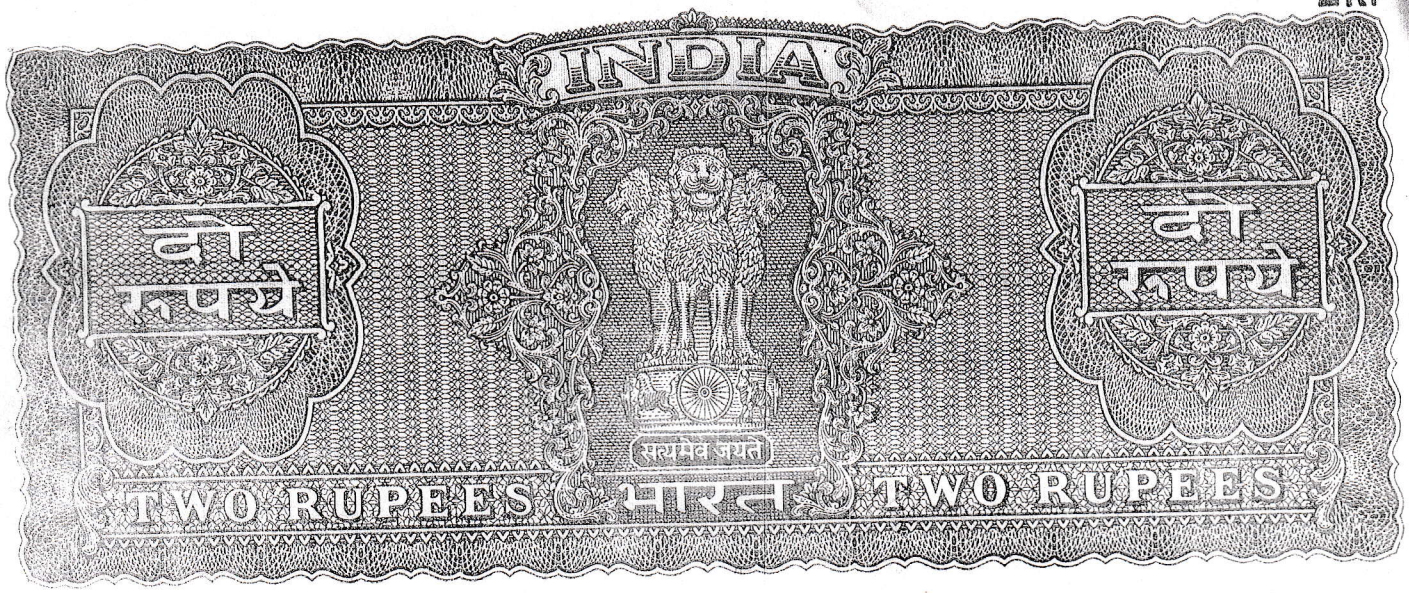

2 Rs

INDIA

दो रुपये | दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

मैं युगल किशोर मंत्री वल्द स्व0 सुरजमल मंत्री, रामकली देवी मंत्री पत्नी युगल किशोर मंत्री कायम तथा दिलीप कुमार मंत्री प्रदीप कुमार मंत्री तथा संतोष कुमार मंत्री पिता युगल किशोर मंत्री कायम जात महेश्वरी पेशा गृहस्थी तथा व्यापार साकिन मौजा लोहरदगा रोड गुमला थाना वो जिला गुमला की नीचे लिखा जमीन मकान जायदाद दुकान शामिल है । शामिल रहने से हमेशा आपस में प्रेम भाव पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है । इसलिए इस विवाद को खत्म करने के लिए सभी हिस्सेदार गाँव के सम्मानित व्यक्ति तथा रिश्तेदार के सहयोग से निचे लिखा जायदाद का बटवारा कर लिये और सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से की जमीन वो मकान पर दखलकार रहते हुए चले आते है । अब किसी एकफरीक को किसी दूसरे फरीक की हिस्से से कभी वेसी का दावा दावी नहीं कर सकते है । अब प्रत्येक हिस्सेदार अपने अपने हिस्से की जमीनों पर दखलकार रहकर अपने अपने नाम से दाखिल खारीज कराकर रसीद हासिल किया करेंगे । इसलिए आज सोच समझ कर स्वस्थ्य मन से बिना किसी के बहकावे में आये जो मौखिक बटवारा 26.10.2001 को हुआ था उसे आज लिखे मेमो ऑफ पार्टीशन लिख दिया कि समय पर काम आवें 9.11.2001.

सिडियुल "ए" जो ग्राम गुमला थाना वो जिला गुमला के वार्ड नं0 9 में स्थित है ।

हिस्सा युगल किशोर मंत्री तथा उनकी पत्नी रामकली देवी ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	रकबा
[illegible]	555	पक्का मकान	0.06 डी0

Pradeep Kumar Mantri

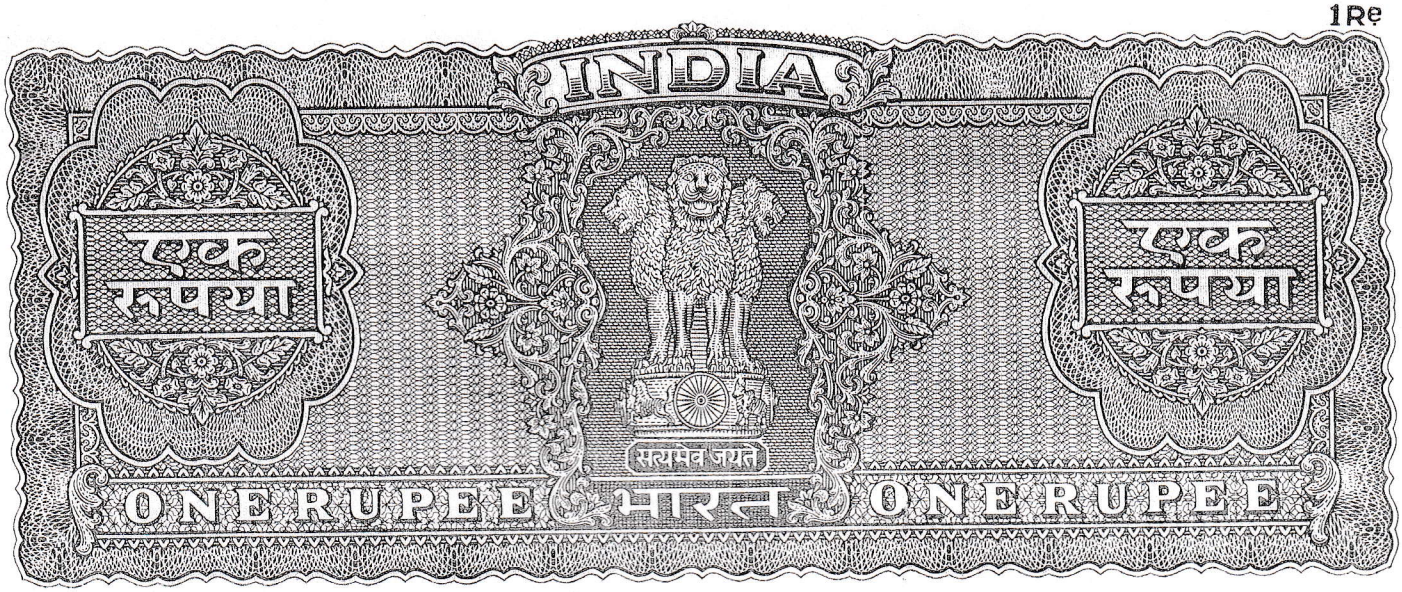

1Re

INDIA

एक रुपया   एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

2.

के हिस्सा में है जिसका दुकान का साईज 21'×16' तथा गोदाम साथ 11'×15' फीट है ।

उत्तर- महेश साव का मकान, दक्षिण- जनक और इब्राहिम, पुरब- प्रदीप मंत्री,

पश्चिम- तलाब ।   जमा रकबा छः डी0

सिड्यिुल "बी"

हिस्सा दिलीप कुमार मंत्री को ग्राम गुमला थाना वो जिला गुमला के वार्ड नं0 5 में स्थित है ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	रकबा
108	421	परती कदीम	$0.08\frac{1}{4}$ डीसमील ।

उत्तर मोहन लाल मंत्री, दक्षिण- गलियारी, पुरब- बुधु उरांव, पश्चिम- रोड

जमा रकबा सवा आठ डी0

सिड्यिुल "सी"

हिस्सा प्रदीप कुमार मंत्री वाके मौजा चेटर, थाना वो जिला गुमला जो गुमला नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं0 9 में स्थित है ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	रकबा
99	438	परती	0.11 डी0

Pradeep Kumar Mantri.

जमा रकबा ग्यारह डी0

उत्तर छेदीलाल, दक्षिण वो पश्चिम- गनपत लाल चौरियसया, पुरब- लोहरदगा रोड गुमला, हिस्सा जो ग्राम गुमला, थाना गुमला थाना नं0 59 जिला गुमला के वार्ड नं0 9 में स्थित है ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	रकबा

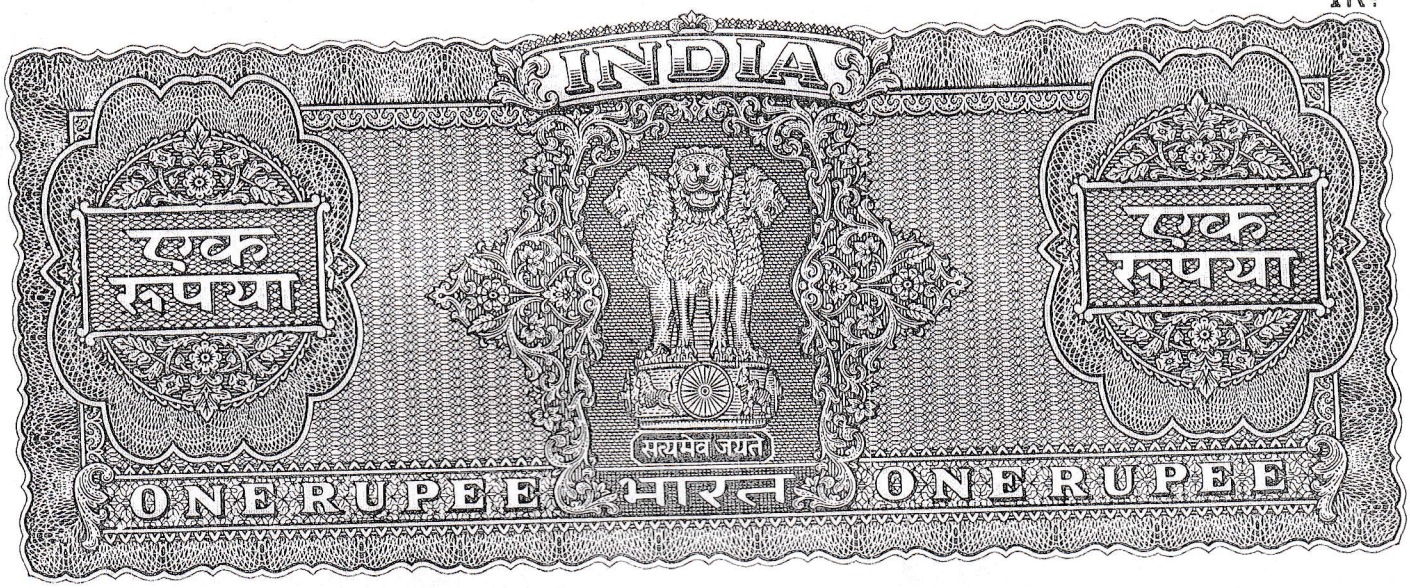

INDIA
एक रुपया
सत्यमेव जयते
ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

चौड़ाई दुकान 16×21 फीट, गोदाम 11×15 सिर्फ निचे के तल्ला में असे उपर के तल्ला में हिस्सा नहीं मिला है ।

उतर- रोड साईड, दखिण- युगल किशोर मंत्री, पुरब-

पश्चिम-

यह कि सिडीयुल "सी" का हक सिर्फ दुकान एवम् गोदाम पर रहेगा ।

सिड्युल "डी "

हिस्सा संतोष कुमार मंत्री वाके मौजा गुमला, थाना वो जिला गुमला जो गुमला नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं0 6 में स्थित है ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	रकबा
399	305	बारी	0.06 डी0

उतर- रिसई रोड, दखिण- कन्हाई साव, पुरब- कल्याण मंत्री, पश्चिम- मोहन लाल

जमा रकबा छौ डीसमील ।

सिड्युल "ई "

हिस्सा युगल किशोर मंत्री तथा रामकली देवी तथा दीलीप कुमार मंत्री तथा संतोष कुमार मंत्री जो गुमला नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं0 5 में स्थित है ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	रकबा
243	402	पक्का मकान	0.01 $\frac{1}{2}$ डी0

उतर मेन रोड, गुमला दखिण- थाना रोड, पुरब- गलियारी, पश्चिम- मोहन लाल मंत्री ।

जमा रकबा डेढ़ डी0

1Rs

आगे सभी हिस्सेदार तथा पंचों के बीच यह भी तय हुआ कि सिड्युल "ए" तथा "ई" की जायदाद को युगल किशोर मंत्री तथा उनकी पत्नी रामकली देवी को हिस्सा दिया गया है जो उनदोनो के मृत्यु के बाद उक्त जायदाद को दीलीप कुमार मंत्री को तथा संतोष कुमार मंत्री के हिस्से में होगा । उक्त जायदाद में प्रदीप कुमार मंत्री को सिर्फ मकान के निचे तल्ला में दुकान तथा गोदाम को छोड़कर मकान में कोई सरोकार नहीं रहेगा, और न दावी कर सकते है ।

पंचों का हस्ताक्षर

9-11-2001

मनोज कुमार मंत्री 9.11.2001

9-11-01

9.11.01

Aditya Kumar Mantri
9.11.01

9-11-2001

पक्षों का हस्ताक्षर ।

युगल किशोर मंत्री

दिलीप कुमार मंत्री

प्रदीप कुमार मंत्री 9.11.2001

सन्तोष कुमार मंत्री 9-11-2001

राम कली देवी मंत्री

Pradeep Kumar Mantri

पत्रांक :- 81
दिनांक : 26.03.2002

अनुसूची २१—प्रपत्र संख्या ११५।

संपत्ति-अबभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र, सं० 48/2002, १९

आवेदन सं०..........१९

चूंकि श्री देवेन्द्र नाथ सिंह आदि ने मेरे पास आवेदन किया है कि, श्री प्रदीप कुमार मंत्री पिता युगल किशोर मंत्री विधि सलाहकार बैंक ऑफ इण्डिया, गुमला। निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अबभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01/01/1973 १९७ से ता० up to date १९७ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है।—

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	वाके मौजा चेटर वार्ड नं० 9. थाना नं० 47 थाना गुमला जिला गुमला खाता नं० प्लाट नं० रकबा — 99 — 438 — 0.11 डिसमील (कुल रकबा 0.11 ग्यारह डिसमील)							

Pradeep Kumar Mantri

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अबभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— [signature] 26/02/2002

(पदनाम) :— E.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— [signature] 26.2.02

(पदनाम) :— T.C

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय गुमला.

तारीख 26/02/2002. मुहर।

[signature] 26/2/02

जिला अवर निबन्धक गुमला

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

Rept No 495 date 26/02/2002 fees paid Rs. 301 only [signature] 26/02/2002 E.C.

:—इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेबार नहीं होगा।

और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूढें गये संव्यवहारों और अबभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढें गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेबार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Pradeep Kumar Maurya.

गवर्नमेंट प्रेस, गया। अमु० २१—प्र० सं० ११३। (बी०पी०)